

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएस**

प्रकरण सं० : 47/2023

अनवान :

1. जतिन कुमार पुत्र साधूराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
2. दिनेश कुमार पुत्र साधूराम नावालिग जरिये इष्ट मित्र सगी माता वली विनोद पत्नी साधूराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।

:- वादीगण

बनाम


1. निहालसिंह पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
2. रोहित पुत्र साधूराम जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
3. साधूराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
4. कमला पुत्री निहालसिंह पत्नी रणधीरसिंह जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल निवासी रेजडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
5. लिलावती पुत्री निहालसिंह पत्नी दलीपसिंह जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल निवासी रेजडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
6. सुमन पुत्री निहालसिंह पत्नी मनोज कुमार जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल निवासी रेजडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
7. विमला पुत्री निहालसिंह पत्नी सुरजभान जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल निवासी रेजडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।
8. सुनिता पुत्री निहालसिंह पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल निवासी रेजडी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा बुढेर के खाता सं० 90/28 के ख०सं० 248 की 3.6170है० वारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3/4 हिस्सा तथा रोही मौजा गढडा के खाता सं० 66/76 के ख०सं० 279 की 10.6360है०, ख०सं० 380 की 4.1730है०, ख०सं० 381 की 4.4640है०, ख०सं० 432 की 4.4540है० की कुल 21.7270है० में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 3/4 हिस्सा दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं० 1 निहालसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 को बहिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 3 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही परीक्षणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(शकुन्तला चौधरी), R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़